HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 550/2026

Lalit Gavrani Son Of Goverdhan Das, Resident Of A-917, J.d.a. Colony, Naradpura, Amer, Jaipur (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Surendra Kumar Tahalyani Son Of Late Gullumal Tahalyani, Resident Of 807-C, Jamna Tower, Ashok Chowk, Adarsh Nagar, Jaipur (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Ripu Daman Singh Naruka, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

07/05/2026

चूंकि याची–अभियुक्त द्वारा दिनांक 05.05.2026 को संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष समर्पण किया जा चुका है, अतः कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप अब समाप्त हो चुका है।

विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब होकर प्रकरण आठ सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

S.B. Criminal Misc. Suspension of Sentence Application No. 157/2026:-

याची/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता याची/अभियुक्त को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

याची/अभियुक्त को विचारण न्यायालय विद्वान **विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम संख्या–09, जयपुर महानगर द्वितीय** द्वारा

प्रकरण संख्या–**944/2018** में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांकित **25.05.2023** द्वारा धारा 138 एन.आई.एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करार देते हुए **09 माह** के साधारण कारावास एवं **5,20,000**/–रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए उक्त राशि परिवादी को प्रतिकर के रूप में अदा करने व उसमें असफल रहने पर **एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास** भुगतने का आदेश दिया, जिसके विरूद्ध अभियुक्त द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय न्यायालय, **अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–5, जयपुर महानगर द्वितीय** द्वारा फौजदारी अपील संख्या–**12/2023** में पारित निर्णय दिनांकित **07.03.2026** के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी व दण्डादेश को यथावत रखा गया।

सुना गया एवं विचार किया गया। धारा 148 प्रक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रावधानों की मंशा को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह दण्डादेश स्थगन का आवेदन याची/अभियुक्त की ओर से **1,10,000**/– की राशि का परिवादी के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जमा कराने की पूर्ववर्ती शर्त पर स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि याची/अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **09.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए तथा आक्षेपित निर्णय दिनांकित **25.05.2023 एवं 07.03.2026** के तहत पारित **दण्डादेश (sentence)** के क्रियान्वयन को इस पुनरीक्षण याचिका के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

याची/अभियुक्त यदि निगरानी याचिका में सफल रहता है तो अयाची/परिवादी **07 प्रतिशत** वार्षिक ब्याज सहित जमाशुदा राशि वापस याची/अभियुक्त को लौटाने बाबत् बंध पत्र विचारण न्यायालय में पेश कर दे, तो उपरोक्त जमाशुदा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विचारण न्यायालय द्वारा बाद रसीद परिवादी को अदा कर दिया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /119